

# न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर (म.प्र.)

## आदेश

जबलपुर, दिनांक-27.09.2021

क्रमांक/क्यू/सी.जे.एम./21

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03:00 बजे से 05:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। निम्न कॉलम में दर्शाये गए न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने स्टाफ सहित दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उक्त दिनांक को प्रस्तुत किए जावेंगे, निष्पादित करें :-

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक	क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक
1	श्री सुरेश सिंह जमरा	02.10.2021	14	श्रीमती प्रीतिशिखा अग्निहोत्री	02.11.2021
2	श्री अरविंद टेकाम	03.10.2021	15	सुश्री वंदना सोनी	03.11.2021
3	श्री देवदत्त	06.10.2021	16	श्रीमती तबस्सुम खान	04.11.2021
4	श्री अरविंद सिंह	10.10.2021	17	श्रीमती नूतन रावते	05.11.2021
5	श्रीमती नीलिमा देवदत्त	13.10.2021	18	श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डेय	06.11.2021
6	सुश्री अंजली शाह	14.10.2021	19	सुश्री अंकिता गुप्ता	07.11.2021
7	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	15.10.2021	20	श्री अंकुर तिवारी	14.11.2021
8	श्रीमती शक्ति वर्मा	16.10.2021	21	श्री तन्मय सिंह	19.11.2021
9	सुश्री निधि जैन	17.10.2021	22	श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव	20.11.2021
10	श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी	18.10.2021	23	श्री कुंवर युवराज सिंह	21.11.2021
11	श्रीमती साहंगी दुग्गल	19.10.2021	24	श्रीमती किरण मलिक	28.11.2021
12	श्री अमनदीप सिंह छावडा	24.10.2021			
13	सुश्री अदिति शुक्ला	31.10.2021			

### सिहोरा न्यायालय

मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक	अवकाश दिनांक
श्रीमती सविता ठाकुर	10.10.21 24.10.21 31.10.21	02.11.21 03.11.21 04.11.21 05.11.21 06.11.21 07.11.21 21.11.21 28.11.21
सुश्री श्रुष्टि अग्निहोत्री	02.10.21 03.10.21 06.10.21 13.10.21 14.10.21 15.10.21 16.10.21 17.10.21 18.10.21 19.10.21	14.11.21 19.11.21 20.11.21

### पाटन न्यायालय

मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक	अवकाश दिनांक
श्री आदिल अहमद खान	02.11.21 03.11.21 04.11.21 05.11.21 06.11.21 07.11.21 14.11.21 19.11.21 20.11.21 21.11.21 28.11.21	
श्री रवि साहू	02.10.21 03.10.21 06.10.21 10.10.21 13.10.21 14.10.21 15.10.21 16.10.21 17.10.21 18.10.21 19.10.21 24.10.21 31.10.21	

- यदि किसी कारणवश संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर नियत दिनांक को रिमाण्ड ड्रियूटी करने में असमर्थ रहते हैं और रिमांड ड्रियूटी हेतु आपसी सहमति से परिवर्तित करते हैं, तो दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित सूचना समय पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।
- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित उपरोक्त तिथि में सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर उसके स्थान पर अन्य अवकाश तिथि निर्धारित की जाती है तो जिस तिथि को न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्रियूटी थी वह न्यायिक मजिस्ट्रेट घोषित नयी अवकाश तिथि पर रिमांड ड्रियूटी करेंगे।
- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित तिथि के अलावा अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो उस दिनांक को जिला न्यायालय जबलपुर में **श्रीमती गजल पाहवा**, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेगी, यदि किन्हीं कारणवश श्रीमती गजल पाहवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर भी अवकाश पर रहती है, तो **सुश्री श्रद्धा पाण्डेय**, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगी एवं तहसील पाटन न्यायालय में **श्रीमती सविता ठाकुर** न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं तहसील सिहोरा न्यायालय में **श्री आदिल अहमद खान** न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगे।
- रिमांड न्यायालय अपने न्यायालय की रिमाण्ड ड्रियूटी जिस दिनांक को, की जानी है, उसकी सूचना अपने न्यायालय के रिमाण्ड पेनल सूची के अधिवक्ताओं को प्रदान करें।

(यशवंत मालवीय) यशवंत मालवीय  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर (म.प्र.)